मु.नं.–11 / 2022 GCMS ID-2022/59 ता.रजु–19.04.2022

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस.

सुनील कुमार, 416, 4th FLOOR, ALANKAR PLAZA[CENTRAL SPINE, VIDYADHAR NAGAR, JAIPUR-302039 – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–05.05.2022

1. अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर पत्र क्रमांक प.29(1)(2)सामान्य / ई–मित्र / द्वितीय / 07 / 5069 दिनांक 28.10.2010 को प्रेषित करने का माध्यम, वापसी डाक का इन्द्राज रजिस्टर, आदि सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने पत्रांक सू.अ.अ. / 2022 / 45 दिनांक 02.05.2022 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 945 दिनांक 09.02.2022 के द्वारा आवेदक / अपीलार्थी से 03 पृष्ठीय सूचना हेतु शुल्क 6 / –रुपये की मांग की गई थी जो आदिनांक तक अप्राप्त है। अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं करवाये जाने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा 03 पृष्ठीय सूचना हेतु अपीलार्थी से 6 / –रुपये के शुल्क की मांग की गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा जमा नहीं करवाया गया है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली